



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13032021-225837  
CG-DL-W-13032021-225837

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, फरवरी 28 - मार्च 6, 2021, शनिवार/ फाल्गुन 9 - फाल्गुन 15, 1942  
No. 09] NEW DELHI, FEBRUARY 28 - MARCH 6, 2021, SATURDAY/ PHALGUNA 9 - PHALGUNA 15, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 21 .—नारियल विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूचियों के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन.—नीचे उल्लिखित समाप्त किए गए पदों पर कार्यरत पदधारियों द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना ऐसे समाप्त किए गए पदों के बदले में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए सुसंगत अनुदेशों या आदेशों के अनुसार गठित समिति द्वारा नए पदों के लिए उनकी उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात् की जाएगी:-

(क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में प्रसंस्करण इंजिनियर के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए) में उप निदेशक (प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में वित्त अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

(ग) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में फार्म प्रबंधक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विकास) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

(घ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

(ङ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में सहायक विपणन अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विपणन) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

(च) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विपणन) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विपणन) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

- (छ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विपणन) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में बाज़ार संवर्धन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ज) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विकास) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपए) में सहायक निदेशक (विकास) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (झ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (विकास) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ञ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में कनिष्ठ लेखा अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ट) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में अधीक्षक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ठ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में उप संपादक (हिन्दी) के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ड) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में हिन्दी अनुवादक के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ढ) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में तकनीकी अधिकारी के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;
- (ण) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपए) में मशीन ऑपरेटर के समाप्त किए गए पद पर कार्यरत ऐसे पदधारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास बोर्ड के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में भंडार को संभालने का दो वर्ष का अनुभव है वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में सहायक (भंडार) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

परन्तु समाप्त किए गए पदों के पदधारियों का जिनका उपर्युक्तता का निर्धारण किया जाता है नए पदों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अधिशेष घोषित किया जाना होगा और वेतन मैट्रिक्स के उसी या उससे उच्च स्तर पर समतुल्य संख्या में पदों को तब तक रिक्त रखा जाना होगा जब तक उन्हें अन्यथा नए पदों पर समायोजित नहीं किया जाता अथवा वे अधिवर्षिता प्राप्त नहीं कर लेते।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.**—इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक (विकास)	5* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर - 11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (विकास), उप निदेशक (विपणन) और उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। <b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो, - सदस्य 3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य 4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

			<p>अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी या बागान वृक्ष फसलों से संबंधित पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री ;</p> <p>(ii) नारियल फसल के विशिष्ट प्रतिनिर्देश से कृषि विकास में लगे केन्द्रीय सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में समूह (क) पदों पर दस वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी या नारियल फसल संबंधी पौध विज्ञान में डाक्टरेट की डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निदेशक (विपणन)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन पद	<p>चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि उत्पादों से संबंधित बाज़ार संवर्धन या बाज़ार विकास या निर्यात संवर्धन या निर्यात विकास में दस वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विपणन या कृषि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि विपणन में दस वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री सहित विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि उत्पादों के बाज़ार संवर्धन या निर्यात संवर्धन में पंद्रह वर्ष का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए) में ऐसे उप निदेशक (विपणन), उप निदेशक (निर्यात संवर्धन), उप निदेशक (प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता), उप निदेशक (साँख्यिकी) और उप निदेशक (विकास) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में तीन</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <p>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष</p>	लागू नहीं होता।

			<p>वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचेलर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने</p>	<p>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</p> <p>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक (विकास)	10* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन पद	<p>चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि या पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री; और</p> <p>(ii) बागान वृक्ष फसलों या बागवानी फसलों के कृषि विकास के प्रतिनिर्देश से केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में पाँच वर्ष का अनुभव; अथवा बागान वृक्ष फसलों या बागवानी फसलों के कृषि विकास के प्रतिनिर्देश से केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में सात वर्ष का अनुभव।</p>



					या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (विकास), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य</li> <li>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p>अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. उप निदेशक (निर्यात संवर्धन)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700- 2,08,700₹.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन) और सहायक निदेशक (विदेश व्यापार) की सम्मिलित वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य</li> <li>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकायों या कानूनी निकाय अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम में निर्यात संवर्धन गतिविधियों का सात वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उप निदेशक (विपणन)	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन पद	<p>चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन में विशेषज्ञता या कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और</p> <p>ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कृषि विपणन में सात वर्ष का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (विपणन), जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1.अध्यक्ष, नारियल विकास</p>	लागू नहीं होता।

		<p>जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>बोर्ड – अध्यक्ष</p> <p>2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</p> <p>3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी – सदस्य</p> <p>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप निदेशक (प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता)	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन पद	<p>चालीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.टेक या समतुल्य सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रौद्योगिकी विकास, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास में पाँच वर्ष का पर्यवेक्षी अनुभव अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रचालन या मानव संसाधन या वित्त में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रौद्योगिकी विकास, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता विकास में पर्यवेक्षी हैसियत का सात वर्ष का अर्हक अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में ऐसे सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी) और सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से सुसंगत क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p>मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. उप निदेशक (साँख्यिकी)।	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<b>संयुक्त पद्धति:</b> प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	<b>संयुक्त पद्धति :</b> प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 अध्यक्ष, नारियल विकास	लागू नहीं होता।

			<p>अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ अधिमानतः कृषि में सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने, व्याख्या और विश्लेषण करने में सात वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में डाक्टर ऑफ फिलोसोफी के साथ अधिमानतः कृषि में सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने, व्याख्या और विश्लेषण करने में तीन वर्ष का अर्हता पश्चात् अनुभव।</p> <p>बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स विभाग के स्तर - 10 (56,100 - 1,77,500 ₹) में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (सांख्यिकी) पर भी विचार किया जायेगा। जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर किया जाता है तो वह पद प्रोन्नति से भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या</p>	<p>बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2 मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>3 कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो, - सदस्य</p> <p>4 बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	---	---	--



			<p>विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण3</b> : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. लेखा परीक्षा अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	<p>पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक :</b></p> <p>i) लेखापरीक्षा में दो वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; या</p> <p>ii) लेखापरीक्षा में तीन वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; या</p> <p>iii) वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा में सात वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो; या</p> <p>ii) एक वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ लेखापरीक्षक और लेखा अधिकारी की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।

		<p>वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स आफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ किसी भी विषय में बेचलर डिग्री या वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है</p>	<p>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</p> <p>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	--	--

			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  <b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> i) लेखाकरण कार्य में दो वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट या ii) लेखाकरण कार्य में तीन वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट या iii) वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त निकाय में लेखाकरण कार्य में सात वर्ष का अनुभव  <b>वांछनीय:</b> i) इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो; या ii) एक वर्ष के अनुभव सहित इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फेलो;

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखापरीक्षक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण सहित किसी भी	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता।

			<p>विषय में बैचलर डिग्री या वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी</p>	<p>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</p> <p>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	<p>पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समतुल्य में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में प्रशासन और स्थापना संबंधी मामलों में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित मानव संसाधन प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ, स्तंभ (II) में उल्लेखित विस्तार तक।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन या समतुल्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p>किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</p> <p>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. तंत्र विश्लेषक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'।	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	<p>संयुक्त पद्धति ;</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर क्षेत्रों के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति :</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बैचलर डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संस्थान में तंत्र विश्लेषक के रूप में दो वर्ष का अर्हता पथ अनुभव।</p> <p>बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय कार्यक्रमक पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और यदि उनका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
12.	सहायक निदेशक (विकास)।	8* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	<p>पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बागवानी या कृषि अथवा पौध विज्ञान में मास्टर डिग्री;</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में तीन वर्ष का अनुभव या समतुल्य अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में विशेषकर रोपण ताड़ फसलों या बागवानी फसलों में पांच वर्ष का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हों।	दो वर्ष।	पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे</p>	<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</p>	लागू नहीं होता।



		<p>वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</p> <p>3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी - सदस्य</p> <p>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी की प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता समतुल्य; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में निर्यात संवर्धन गतिविधियों में पांच वर्ष का अनुभव। बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

			<p>निर्यात संवर्धन अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, और यदि उनका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाना है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. सहायक निदेशक (विदेश व्यापार)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)।	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार या निर्यात संवर्धन में विशेषज्ञता; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और  (ii) किसी सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या भारतीय निर्यात संगठनों के फेडरेशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित कंपनी में विदेश व्यापार और विदेश राष्ट्रों में निर्यात सहित विदेशों

					निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	में बाज़ार विकास में पाँच वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p><b>सीधी भर्ती द्वारा:</b></p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p>	लागू नहीं होता	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	<p>पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य कार्यालय</p>

				पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं में हिंदी से अंग्रेजी और विपर्ययेन अनुवाद कार्य का सात वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिबीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  <b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. सहायक निदेशक (विपणन)	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य या विपणन में विशेषज्ञता अथवा कृषि या बागवानी में मास्टर डिग्री के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कृषि विपणन में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे बाजार संवर्धन अधिकारी और बाजार विकास अधिकारी की संयुक्त वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।  <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर	लागू नहीं होता।

		<p>व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिबीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</p> <p>3. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>4. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. सहायक निदेशक (प्रचार और जनसंपर्क)	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल	<p><b>आवश्यक:-</b></p> <p>क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री अथवा किसी भी विषय पर स्नातक डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा ;</p> <p>ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी के क्षेत्र में तकनीकी रिपोर्ट लेखन, जन संचार माध्यम की गतिविधियों, सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों, विषय-वस्तु सृजन, हितधारी शिक्षण और प्रशिक्षण में सात वर्ष का अनुभव।</p>

				<p>प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>वांछनीय:</b></p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी के क्षेत्र में जन संचार माध्यम गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>ii) हिंदी का ज्ञान।</p>
--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे प्रचार अधिकारी और जन संपर्क माध्यम अधिकारी की संयुक्त वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।



			<p>भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे सांख्यिकीय अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान</p>	<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री के साथ किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय में सांख्यिकीय कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक या समतुल्य सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेषकर परियोजना रूपायन, परियोजना मूल्यांकन और निष्पादन में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी टेक या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य और अर्हता पश्चात्</p>

				निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेषकर परियोजना रूपान, परियोजना मूल्यांकन और निष्पादन में पांच वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार और पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य अथवा बागवानी (खाद्य उत्पादन और तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र या नारियल प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेषकर परियोजना रूपान, परियोजना मूल्यांकन और निष्पादन में पांच वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऐसे विकास अधिकारी जिनके पास बागवानी (खाद्य उत्पादन और तुड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी) में मास्टर डिग्री हो और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास अधिकारी (प्रौद्योगिकी) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणियों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)	चयन पद	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक. या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में तीन वर्ष का अनुभव; अथवा कृषि विस्तार में मास्टर डिग्री के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में पांच वर्ष का अनुभव; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी टेक या समतुल्य के साथ मानव संसाधन में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री अथवा प्रशिक्षण और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण में अर्हता पश्चात् पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	<b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता

होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>1,42,400 रुपए) में ऐसे विकास आधिकारी (प्रशिक्षण) और विकास अधिकारी (प्रौद्योगिकी) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47,600-1,51,100 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन</p>	<p>विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>
------	---	--	--

			वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. क्वालिटी प्रबंधक	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क'	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपए)।	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:-</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ सुक्ष्मजीव वैज्ञानिक और वरिष्ठ रसायनज्ञ की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित क्षेत्र में दो या चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में उप सचिव की पंक्ति से कम के न हो - सदस्य</li> <li>4. कोई अधिकारी जो बोर्ड में उप निदेशक की पंक्ति से कम के न हो जो प्रयोगशाला में भारसाधक हो - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में एम. टेक. या समतुल्य अथवा रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या खाद्य और पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित उस क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. प्रशासनिक अधिकारी	*4 (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता	<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में प्रशासन और स्थापना कार्यों में

				है)। <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	पांच वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता या मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे सहायक और सहायक(भंडार) की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री और प्रशासन में दो वर्ष के अनुभव हों। <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।



			<p>पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. प्रचार अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री अथवा किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और एडवर्टाइजिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी के क्षेत्र में या संबंधित विषय में तकनीकी रिपोर्ट लिखने में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में बागवानी के क्षेत्र में प्रकाशन के दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>ii) हिंदी का ज्ञान।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35,400-1,12,400 रूपए) में ऐसे उप संपादक और सार लेखक-सह-पत्रकार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में	लागू नहीं होता।

होता	सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उप संपादक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	
------	---	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. साँख्यिकीय अधिकारी	2* (2020)	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		रूपए)	लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	संस्थान से सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में मास्टर डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में सांख्यिकीय विश्लेषण में पांच वर्ष का अनुभव।
--	---	--	-------	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे सांख्यिकीय अन्वेषक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। <b>टिप्पण 1:</b> पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सांख्यिकीय अन्वेषक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी।) <b>टिप्पण 2:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठव्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिबीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

			<p>अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. लेखा अधिकारी	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार</p>	<p>इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट अथवा</p> <p>इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एसोसियेट; अथवा</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री के साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से इंटरमीडियेट उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से इंटरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण और किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या</p>

					द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	मान्यताप्राप्त संगठन में लेखाकरण कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे लेखापाल और लेखापरीक्षक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य सहित अधिमानतः वाणिज्य में बैचलर डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति : प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति	<p>संयुक्त पद्धति; प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रूपए) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हों:</p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; या</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और</p> <p>ii) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।</p> <p>बाह्य व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय पुस्तकालय और सूचना सहायक पद भी विचार किया जाएगा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400 -1,12,400 रुपए) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो, और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	--	--	---	--------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. विकास अधिकारी।	19* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि</p>	<p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में बैचलर डिग्री; और</p> <p>ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी विकास गतिविधियों के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।</p>

					वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे वरिष्ठ फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पादप विज्ञान में बैचलर डिग्री या कृषि में डिप्लोमा या समतुल्य अर्हताएँ हो। <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. विकास अधिकारी (प्रौद्योगिकी)	2* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या समतुल्य या आहार एवं पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण में दो वर्ष का



					करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अनुभव।
--	--	--	--	--	--	--------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती दिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हो या जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म जीवविज्ञान या जैव- प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य हो। <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे। 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. विकास अधिकारी (प्रशिक्षण)	1* (2020) * कार्यभार के	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा	कृषि या बागवानी में बैचलर डिग्री या कृषि इंजीनियरी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी में बी.टेक. या समतुल्य या

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		रूपए )	सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	आहार एवं पोषण में मास्टर डिग्री या समतुल्य के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में खाद्य प्रसंस्करण, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
--	-----------------------------------	--	--------	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<b>प्रोन्नति:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऐसे तकनीकी सहायक जिनके पास प्रशिक्षण और विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य है और वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे खाद्य प्रौद्योगिकीविद की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. बाजार विकास	1*	समूह 'ख'	स्तर-7	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या

अधिकारी	(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		(44,900-1,42,400 रूपए)	<p>किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या समतुल्य सहित विपणन में विशेषज्ञता और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विपणन में दो वर्ष का अनुभव।
---------	---	--	------------------------	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उसी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो, जिसके न हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रूपए) में ऐसे फील्ड ऑफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में पन्द्रह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य अर्हताएं हो और जिनके पास विपणन, प्रदर्शनी, प्रचार और जन संपर्क में अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार क अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. बाज़ार संवर्धन अधिकारी	2* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री के साथ विपणन में विशेषज्ञता या समतुल्य या कृषि या वागवानी में मास्टर डिग्री के साथ विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में विपणन में दो वर्ष का अनुभव।

					मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए</p>	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	

			<p>जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. निर्यात संवर्धन अधिकारी	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900- 1,42,400 रूपए )	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. मास मीडिया आफिसर	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	लागू नहीं होता	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समतुल्य ; और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से जन संचार गतिविधियों, सूचना, शिक्षण और संचार गतिविधियों, विषयवस्तु सृजन, पणधारी शिक्षण और प्रशिक्षण में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>i) मान्यताप्राप्त संस्थान में कृषि या बागवानी सेक्टर में जन संचार संचालन</p>

					चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	कार्यों में दो वर्ष का अनुभव। ii) हिन्दी का ज्ञान।
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी :  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम के न हो – सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. वरिष्ठ लेखा परीक्षक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री; और  ii) किसी सरकारी कार्यालय



					करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखापरीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे लेखा परीक्षक और लेखापाल की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

		<p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. वरिष्ठ रसायनज्ञ	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति: प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति।	<p><b>संयुक्त पद्धति:</b> प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रूपए) में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा पूरी की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैवरसायन में मास्टर डिग्री के साथ खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों के विश्लेषण में पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रूपए) में ऐसे विभागीय रसायनज्ञ पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर उसकी नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			<p>जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	अधिकारी	- सदस्य	
--	--	--	---	---------	---------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36. वरिष्ठ अनुवादक	2* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रूपए)	चयन पद	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू होता है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और</p> <p>ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में या नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो</p> <p><b>टिप्पण1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. वरिष्ठ सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक।	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति ; प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति	<p><b>संयुक्त पद्धति : प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा पूरी की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीव विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ सूक्ष्मजीवीय सामग्रियों के विश्लेषण में पाँच वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपए) में ऐसे विभागीय सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि उस पद पर उसकी नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
38.	साँख्यिकी अन्वेषक	4* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि साँख्यिकी या साँख्यिकी में मास्टर डिग्री।  <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से साँख्यिकीय कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी :  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या  (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी	लागू नहीं होता।

		मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।		अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39. उप संपादक	2* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं लागू होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b>  (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में अधिमानतः कृषि या बागवानी या सहवद्ध विषय में बैचलर डिग्री;  (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता या जनसंचार या जन संपर्क और विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य; और  (ग) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पत्रिका, पुस्तक, आदि के संपादन और प्रकाशन में दो वर्ष का अनुभव।  <b>वांछनीय:</b>  हिन्दी का ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी।  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी	लागू नहीं होता।

	<p>किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p>	<p>या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी</p> <p>— सदस्य</p>
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. रसायनज्ञ	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों के विक्षेपण में दो वर्ष का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी।</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और</p>	लागू नहीं होता	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड — अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड — सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।



		(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।			
--	--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41. सहायक	11 (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	* समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)।	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कला या विज्ञान या वाणिज्य में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी कार्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सम्मिलित ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने संबंधित श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।  <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के समुचित हैसियत का	लागू नहीं होता।

			श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. सहायक (भंडार)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)
i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भांडागारण प्रबंधन या खरीद या संभार-तंत्र या सार्वजनिक उपापन में डिप्लोमा; और iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंक या स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठन के भंडार संभालने और भंडार में लेखा कार्य करने में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास स्टॉक और भंडार संभालने में दो वर्ष का अनुभव हो। <b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

<p>जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</p> <p>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य</p> <p>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</p> <p>5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43. लेखा परीक्षक	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण; और  (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में बैचलर डिग्री हो।  <b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44. प्रोग्रामर	1* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400- 1,12,400 रुपए)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन्स में मास्टर डिग्री; अथवा  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूनिक्शन या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य;  (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय या मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेयर संगठन में प्रोग्रामिंग या सूचना प्रणाली में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45. खाद्य प्रौद्योगिकीविद्	1* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहार एवं पोषण में मास्टर डिग्री या खाद्य प्रसंस्करण में बी.टेक या समतुल्य; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या आहार एवं पोषण में बैचलर डिग्री के साथ खाद्य सुरक्षा एवं क्वालिटी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. उपनिदेशक की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी, जो नारियल विकास बोर्ड प्रौद्योगिकी संस्थान का भारसाधक हो - सदस्य  5. बोर्ड का समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय	लागू नहीं होता।

					अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य
--	--	--	--	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक	1* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सूक्ष्मजीव विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।  <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सूक्ष्मजीवीय सामग्रियों के विक्षेपण में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:।  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.)	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य  4. उपनिदेशक की पंक्ति से	लागू नहीं होता।

	में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।		अन्यून का कोई अधिकारी, जो नारियल विकास बोर्ड प्रौद्योगिकी संस्थान का भारसाधक हो - सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47. लेखापाल	3*  (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6  (35,400-1,12,400 रुपए)।	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण या इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडियट परीक्षा उत्तीर्ण; और  (ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में बैचलर डिग्री या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा या समतुल्य हों।  <b>टिप्पण :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत	लागू नहीं होता।



			विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य
--	--	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48. सार लेखक-सह-पत्रकार	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री या किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पत्रकारिता या जन संचार या जन संपर्क और विज्ञापन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में रिपोर्ट लिखने एवं संपादन कार्य में दो वर्ष का अनुभव।  <b>वांछनीय:</b> हिन्दी का ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो	लागू नहीं होता।

		<p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p>		<p>भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पकित से कम का न हो - सदस्य</p> <p>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49. कनिष्ठ अनुवादक	*1 (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; और</p> <p>ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक विज्ञान में बैचलर डिग्री।</p> <p><b>टिप्पण:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक अर्हताएँ हों उन पर भी सीधी भर्ती के अधीन कनिष्ठ अनुवादक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50. पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,	i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री; और  ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी:  (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. कोई अधिकारी जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य  4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51. वरिष्ठ फील्ड आफिसर	8*  (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की शैक्षिक अर्हता हो या जिन्होंने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो और जिनके पास कृषि या बागवानी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या समतुल्य हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो – सदस्य</li> <li>4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य</li> <li>5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

			अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। <b>टिप्पण3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52. तकनीकी सहायक	6* (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपए)	चयन पद	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)। <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री सहित विपणन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या विदेश व्यापार में विशेषज्ञता या समतुल्य अथवा किसी भी विषय में बैचलर डिग्री सहित विपणन प्रबंधन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विपणन या निर्यात संवर्धन गतिविधियों में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हां, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25,500-81,100 रुपए) में ऐसे फील्ड आफिसर जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन या कृषि विपणन या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय या निर्यात संवर्धन या विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। <b>टिप्पण :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति और पुष्टि के संबंध में विचार के लिये विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष 2. मुख्य नारियल विकास	लागू नहीं होता

			सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 3. कोई अधिकारी, जो भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में अवर सचिव की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य 4. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य 5. बोर्ड के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुचित हैसियत का अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय अवस्थित केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कार्यालय के समुदाय का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53. फील्ड आफिसर	16* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-4 (25,500- 81,100 रुपए)	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान सहित इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कृषि या बागवानी में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या समतुल्य अर्हता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। <b>टिप्पणी:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -	लागू नहीं होता।

	<p>लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी;</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p>	<p>1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. उस एकक के भारसाधक जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य</p> <p>4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य</p>
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54. उच्च श्रेणी लिपिक	16* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-4 (25,500 - 81,100 रुपए)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति: ऐसे पुस्तकालय परिचर और प्रयोगशाला सहायक जिनके पास कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की गति हो और ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हिन्दी टंकक की सम्मिलित वरिष्ठ के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए) में संबंधित श्रेणियों में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ</p>	<p>प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -</p> <p>1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</p> <p>3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य</p> <p>4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।



			<p>व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में या समतुल्य में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'।	स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए)	अचयन पद	<p>सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री, और</p> <p>(ख) कंप्यूटर पर प्रति घंटे पंद्रह हजार की डिप्रेशन की गति परीक्षण।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा।</p>

					और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रुपए) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. उस एकक के भारसाधक जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य</li> <li>4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56. कनिष्ठ आशुलिपिक	7* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	स्तर-4 (25,500-81,100 रुपए)	लागू नहीं होता	<p>सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण मानदंडः</p> <p>श्रुतलेखन: अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट।</p> <p>प्रतिलेखन: कंप्यूटर पर पचास मिनट (अंग्रेज़ी) या पैसठ मिनट (हिन्दी)।</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सेक्रेटेरियल कोर्स में डिप्लोमा।</p> <p><b>टिप्पण:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर -2 (19,900-63,200 रुपए) में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और ऐसे कनिष्ठ आशुलिपिक पर भी विचार किया जाएगा जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक आर्हताएँ हों।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी :  (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या  (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200 रु.) में या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की हो; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57. हिन्दी टंकक	1* (2020)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19,900-63,200 रुपए)।	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता।  (ii) कंप्यूटर पर हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।  [प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे नौ हजार की डिप्रेशन के अनुरूप तीस शब्द प्रति मिनट।]  <b>वांछनीय:</b>  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक	लागू नहीं होता	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें	लागू नहीं होता।

		<p>अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी :</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।</p>		<p>निम्नलिखित होंगे -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li> <li>2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य</li> <li>3. उस एकक के भारसाधक जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य</li> <li>4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58. अवर श्रेणी लिपिक	26* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19,900-63,200 रुपए)।	अचयन पद	<p>सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है)।</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।</p> <p>[प्रत्येक शब्द के लिए पाँच की डिप्रेशन के औसत पर प्रति घंटे दस हजार पाँच सौ और नौ हजार की डिप्रेशन के अनुरूप पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट।]</p> <p><b>वांछनीय:</b></p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री।</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं, शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (10) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	दो वर्ष	(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती (ii) दस प्रतिशत बहुकार्य कर्मचारीवृंद से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर	<b>प्रोन्नति द्वारा:</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18,000-56,900 रुपए) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद से ज्येष्ठता- सह- उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास मेट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता के साथ कंप्यूटर पर टंकण में	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे - <ol style="list-style-type: none"><li>1. मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष</li><li>2. सचिव, नारियल विकास</li></ol>	लागू नहीं होता।

			पैंतीस शब्द प्रति मिनट की गति हो।	बोर्ड – सदस्य 3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य 4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी – सदस्य
--	--	--	-----------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59. पुस्तकालय परिचर	1* (2020) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2 (19,900-63,200 रुपए)।	अचयन पद	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।  वांछनीय: (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (ii) पुस्तकालय साफ्टवेयर में कार्यसाधक ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ, स्तंभ (11) में यथा उल्लिखित विस्तार तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18,000-56,900 रुपए) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारीवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता और पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र हों।  <b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. मुख्य नारियल विकास, अधिकारी नारियल विकास बोर्ड – अध्यक्ष 2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड – सदस्य 3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य 4. कार्यालय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के	लागू नहीं होता।

			आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिबीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।	समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60. प्रयोगशाला सहायक	2* (2020)  * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग'	स्तर-2  (19,900-63,200 रुपए)	लागू नहीं होता	सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है। नारियल विकास बोर्ड में सेवारत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होता है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर या लक्षदीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक:</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता ; और  (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से प्रयोगशाला तकनीशियन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।  <b>वांछनीय:</b>  किसी ख्यातिप्राप्त और सरकारी मान्यताप्राप्त सूक्ष्म जैविक प्रयोगशाला या रासायनिक प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण:</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारियों से नियमित आधार पर भरी जा सकेंगी :  (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और	लागू नहीं होता।	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -  1. मुख्य नारियल विकास, अधिकारी नारियल विकास बोर्ड - अध्यक्ष  2. सचिव, नारियल विकास बोर्ड - सदस्य  3. उस एकक के भारसाधक, जिसमें नियुक्ति की जानी है - सदस्य  4. कार्यालय में अनुसूचित	लागू नहीं होता।

	(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव हों।		जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के समुचित हैसियत का कोई अधिकारी - सदस्य	
--	---	--	--	--

[फा.सं. 4-18/2011-होर्ट-II]

राजबीर सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

New Delhi, the 19th February, 2021

**G.S.R. 21.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 20 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Coconut Development Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title, commencement and application.**— (1) These regulations may be called the Coconut Development Board Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

**5. Initial Constitution.**—The regular service rendered by the incumbents holding the abolished posts mentioned below shall be counted for appointment to the posts mentioned against such abolished posts after assessing their suitability for the new posts by a committee constituted as per the relevant instructions or orders:-

- the incumbent holding the abolished post of Processing Engineer in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix;
- the incumbent holding the abolished post of Finance Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Accounts Officer in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
- the incumbent holding the abolished post of Farm Manager in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
- the incumbent holding the abolished post of Assistant Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with two years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- the incumbent holding the abolished post of Assistant Marketing Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Marketing) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
- the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Marketing) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Marketing) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;

- (g) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Marketing) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Market Promotion Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (h) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Development) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix;
- (i) the incumbent holding the abolished post of Senior Technical Officer (Development) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (j) the incumbent holding the abolished post of Junior Accounts Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Accounts Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (k) the incumbent holding the abolished post of Superintendent in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (l) the incumbent holding the abolished post of Sub-Editor (Hindi) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (m) the incumbent holding the abolished post of Hindi Translator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (n) The incumbent holding the abolished post of Technical Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade may be considered for appointment to the post of Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix;
- (o) The incumbent holding the abolished post of Machine Operator in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing two years experience in handling stores in the Quality Testing Laboratory of the Board may be considered for appointment to the post of Assistant (Store) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix:

Provided that the incumbents of the abolished posts who are assessed to be not suitable to the new posts shall be declared as surplus and equal number of posts in the same or higher level in the pay matrix shall be kept vacant until they are otherwise adjusted in the new posts or until their superannuation.

**6. Power to relax.**—Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director (Development)	5* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational	Period of probation,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in which Union Public
-----------------------------	----------------------	---	--	---	-------------------------------------



qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	if any	promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	grades from which promotion or deputation/absorption to be made	composition	Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Deputy Director (Development), Deputy Director (Marketing) and Deputy Director (Export Promotion) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with three years' regular service in the respective grades, who possess Master degree in Agriculture or Horticulture from a recognised University or institute and have successfully completed two or four weeks training in related field from a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or</p>	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of, - <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>Chief Coconut Development Officer – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years' service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p><b>Essential:</b></p> <p>(j) Master degree in Agriculture or Horticulture or Plant Sciences relating to plantation tree crops from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) ten years' experience in Group (A) posts in the Central Government or public sector undertakings or autonomous bodies or recognised research institutes engaged in agricultural development with particular reference to coconut crop.</p> <p>Desirable:</p> <p>Doctorate degree in Agriculture or Horticulture or Plant Sciences relating to coconut crop from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Director (Marketing).	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'.	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700).	Selection post.	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,</p>	<p>Master degree in Business Administration or equivalent from a recognised University or institute with specialization in Marketing with ten years experience in market promotion or market development or export promotion or export development related to agriculture commodities in any recognised institute; or</p> <p>Master degree in Agricultural Marketing or Agricultural Economics from a recognised University or institute with ten years experience in Agricultural Marketing in any recognised institute; or</p>

					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in any subject with Postgraduate Diploma in Marketing Management from a recognised University or institute with fifteen years of experience in market promotion or export promotion of agriculture commodities in any recognised institute.
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Deputy Director (Marketing), Deputy Director (Export Promotion), Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship), Deputy Director (Statistics) and Deputy Director (Development) in level 11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with three years' regular service in the respective grades, who possess Bachelor degree of a recognised University and Postgraduate diploma in Marketing Management from a recognised University or institute and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers under</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director (Development)	10* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The	(i) Master degree in Horticulture or Agriculture or Plant Sciences from a recognised University or institute; and (ii) five years

					<p>upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>experience in level 10 (Rs. 56,100-Rs.1,77,500) in the pay matrix under the Central Government or equivalent with reference to agriculture development of plantation tree crops or horticulture crops; or seven years experience in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent with reference to agriculture development of plantation tree crops or horticulture crops.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> Assistant Director (Development) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman</li> <li>2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>3. Chief Coconut Development Officer - Member</li> <li>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable

			<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100- 1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy Director (Export Promotion)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant Director (Export Promotion) and Assistant Director (Foreign Trade) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades and have successfully	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut	Not applicable.

			<p>completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master degree in Business Administration with specialization in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute or Master degree in any discipline with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade from a</p>	<p>Development Board – Member</p> <p>3. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</p> <p>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>recognised University or institute; and</p> <p>(ii) seven years experience in export promotion activities in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy Director (Marketing)	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,</p>	<p>i) Master degree in Business Administration or equivalent with Marketing Specialization or Master degree in Agriculture or Horticulture with Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute; and</p> <p>ii) Seven years experience in agricultural marketing in any recognised institute.</p>

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	<p>Promotion: Assistant Director (Marketing) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee) for considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman</li> <li>2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>3. Chief Coconut Development Officer - Member</li> <li>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy Director (Technology Development and Entrepreneurship)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	<p>Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and</p>	<p>M. Tech in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with five years supervisory experience in recognised institute in technology development, food processing and entrepreneurship development; or</p> <p>B.Tech in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with Master degree in Business Administration in Operations or Human Resource or Finance or equivalent from a recognised University or institute and seven years post qualification experience in a supervisory capacity in recognised institute</p>

					Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	in technology development, food processing and entrepreneurship development.
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant Director (Technology) and Assistant Director (Training) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Deputy Director (Statistics)	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/ deputation	<p>Composite method: Promotion/deputation</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) seven years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>educational qualifications and experience:</p> <p>Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute with seven years experience in handling statistical data, interpretation and analysis preferably in agricultural sector; or</p> <p>Doctor of philosophy in Statistics or Agricultural Statistics with three years post qualification experience in handling statistical data, interpretation and analysis preferably in agricultural sector.</p> <p>The Departmental Assistant Director (Statistics) in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Audit Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> (i) Associate of the Institute of Chartered Accountants of India with two years' experience in auditing; or (ii) Associate of the Institute of Cost Accountants of India with three years' experience in auditing; or (iii) Master degree in Commerce with seven years' experience in auditing in a Government office or recognised research institutes or universities or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies.  <b>Desirable:</b> (i) Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India; or (ii) Fellow of the Institute of Cost Accountants of India with one year experience.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Senior Auditor and Accounts Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India or Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board—Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status	Not applicable.

		<p>seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</p>	
--	--	--	---	--



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Senior Accounts Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep..	<b>Essential:</b> (i) Associate of the Institute of Chartered Accountants of India with two years' experience in accounting work; or (ii) Associate of the Institute of Cost Accountants of India with three years' experience in accounting work; or (iii) Master degree in Commerce with seven years' experience in accounting work in a Government office or recognised research institutes or Universities or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies.  <b>Desirable:</b> (i) Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India; or (ii) Fellow of the Institute of Cost Accountants of India with one year experience.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Accounts Officer and Senior Auditor in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the	Not applicable.

		<p>the Institute of Cost Accountants of India or Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment</p>	<p>Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</p>	
--	--	---	---	--

			<p>by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Senior Administrative Officer	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	<p>Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p><b>Essential:</b> Master degree from a recognised University or institute with three years experience in administration and establishment matters in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.</p> <p><b>Desirable:</b> Master degree in Business Administration, with specialization in Human Resource Management or Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel Management from a recognised University or institute.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications Yes, to the extent as mentioned in column (II)	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> Administrative Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and possessing Master degree in any subject and Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel Management or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Systems Analyst	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for promotes	Composite method: Promotion/deputation	<p>Composite method: Promotion/deputation Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the</li> </ol>	Not applicable.

			<p>posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master degree in Computer Applications or equivalent with Bachelor's degree in Science from a recognised University or institute; or</p> <p>Bachelor degree in Computer Engineering or Electronics and Communication or Information Technology or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) two years post qualification experience as system analyst in an institute of repute.</p> <p>The Departmental Programmer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the</p>	<p>Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Assistant Director (Development)	8* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	<p>Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and</p>	<p>(i) Master degree in Horticulture or Agriculture or Plant Science from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) Three years experience in level 7 (Rs.44,900 - 1,42,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent, preferably in plantation tree crops or horticulture crops; or five years experience in level 6 (Rs.35,400 -1,12,400) in the pay matrix under the Central Government or equivalent, preferably in plantation tree crops or horticulture crops.</p>

					Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification : yes	Two years	Twenty-five percent by direct recruitment and seventy-five percent by promotion, failing which by deputation	<p>Promotion: Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman</li> <li>2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>3. Chief Coconut Development Officer - Member</li> <li>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.



			<p>autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-</p>	
--	--	--	--	--

			six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Assistant Director (Export Promotion)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for promotees	Composite method: Promotion/deputation	<p>Composite method: Promotion/deputation</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master degree in Business Administration with specialization in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute; or</p>	<p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) Five years experience in export promotion activities in a recognised institute.</p> <p>The Departmental Export Promotion Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Assistant Director (Foreign Trade)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Not applicable	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Business Administration with specialisation in International Business or Foreign Trade or Export Promotion or equivalent from a recognised University or institute; or Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) five years experience in market development of foreign countries including foreign trade and export to foreign countries in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking or reputed firm under Federation of Indian Export Organisations.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	<b>By direct recruitment:</b> <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications	Not applicable	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled	Not applicable.

	and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Tribe community - Member
--	---	--------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15 Assistant Director (Official Language)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> (i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; and (ii) Postgraduate diploma in Translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University or institute and seven years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India undertaking.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Senior Translator in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade.  <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member 3. An officer not below the rank of the Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member	Not applicable.

		<p>with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and other qualifications laid down for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Assistant Director (Marketing)	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the	Master degree in Business Administration or equivalent with specialisation in Marketing or Master degree in Agriculture or Horticulture with Postgraduate diploma in Marketing Management or

					<p>serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>equivalent from a recognised University or institute and five years experience in agricultural marketing in a recognised institute.</p>
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by deputation.	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Market Promotion Officer and Market Development Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman</li> <li>2. An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>3. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member</li> <li>4. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally, belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Assistant Director (Publicity and Public Relations).	1* (2020)  *subject to variation dependent on work	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders	Essential:  (a) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with postgraduate degree or diploma in



	load.				<p>issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>Journalism, or Mass Communication, or Public Relations and Advertising, from a recognised University or institute;</p> <p>(b) seven years' experience in writing technical reports in the field of Agriculture or Horticulture, mass media activities, information, education and communication activities, content creation, stake holder education and training in any recognised institute.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Three years experience in mass media operations in agriculture or horticulture sector in any recognised institute.</p> <p>(ii) Knowledge in Hindi.</p>
--	-------	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Publicity Officer and Mass Media Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled</li> </ol>	Not applicable.

			<p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Tribe community	- Member	
--	--	--	--	-----------------	----------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. Assistant Director (Statistics)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Not applicable	Two years	By promotion failing which by	<b>Promotion:</b> Statistical Officer in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in	Group 'A' Departmental Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairman, Coconut Development	Confirmation confirmation)	Not applicable.

		<p>deputation the grade and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute with five years of</p>	<p>Board – Chairman</p> <p>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</p> <p>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	---	--

			<p>experience in statistical work in a Government office or public sector undertaking or statutory or autonomous body.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Assistant Director (Technology)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of	M. Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with three years experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal and execution in a recognised institute; or B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with Master degree in Business Administration or equivalent from a recognised University or institute and five years post qualification experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal

					<p>applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>and execution in a recognised institute, or</p> <p>Master degree in Food and Nutrition or equivalent or Master degree in Horticulture (Food Production and Post Harvest Technology) from a recognised University or institute and five years post qualification experience in food processing sector or coconut processing sector especially in project formulation, project appraisal and execution in a recognised institute.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Development Officer possessing Master degree in Horticulture (Food Production and Post Harvest Technology) from a recognised University or institute and Development Officer (Technology) in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

		<p>or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. Assistant Director (Training)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date	M. Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent from a recognised University or institute with three years experience in training in a recognised institute; or Master degree in Agricultural Extension with five years experience in training in a recognised institute; or

					for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent with Master degree in Business Administration with specialization in Human Resource or Postgraduate diploma in Training and Development from a recognised University or institute and five years post qualification experience in training in a recognised institute.
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which deputation, failing both by direct recruitment	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Development Officer (Training) and Development Officer (Technology) in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) two years service on a regular basis in level 8 (Rs.47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Quality Manager	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'A'	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation	<b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Senior Microbiologist and Senior Chemist in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of- 1. Chairman, Coconut Development	Not applicable.



		<p>pay matrix with three years regular service in the respective grades and have successfully completed two or four weeks training in related field in a recognised institution.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) three years service on a regular basis in level 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) eight years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent or Master degree in Chemistry or Microbiology or Food and Nutrition or equivalent from a recognised University or institute with five years experience in the field.</p>	<p>Board – Chairman</p> <p>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</p> <p>3. An officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. An officer not below the rank of Deputy Director in the Board, who is in charge of Laboratory– Member</p> <p>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	--	--

		<p><b>Note 1:</b> The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. Administrative Officer.	4* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'.	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir</p>	<p><b>Essential:</b> Master degree from a recognised University or institute with five years experience in administration and establishment matters in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.</p> <p><b>Desirable:</b> Master degree in Business Administration with specialization in Human Resource Management or Postgraduate diploma in Human Resource Management or Personnel Management from a recognised University or institute.</p>

					and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Seventy-five percent by promotion failing which by deputation and twenty-five percent by direct recruitment	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Assistant and Assistant (Store) in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades, who possess Bachelor degree of a recognised University and two years experience in administration.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Publicity Officer	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with Postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p>(ii) five years experience in writing technical reports in the field of Agriculture or Horticulture or allied subject in a recognised institute.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>(i) Two years experience of publication in Horticulture sector in a recognised institute.</p> <p>(ii) Knowledge in Hindi.</p>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Two years.	By promotion failing which by	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Sub Editor and Content Writer-cum-Journalist in level 6 (Rs.35,400-	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for	Not applicable.

		<p>deputation, failing both by direct recruitment.</p>	<p>1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.</p> <p><b>Note 1:</b> Eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Sub Editor on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in posts in the level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit</p>	<p>considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	
--	--	--	---	--	--

			for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. Statistical Officer	2* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b>  (i) Master degree in Statistics or Agricultural Statistics from a recognised University or institute; and  (ii) five years experience in statistical analysis in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Statistical Investigator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade.  <b>Note 1:</b> Eligibility service shall continue to be three years for persons holding the post of Statistical Investigator on regular basis on the date of notification of the revised rules.  <b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. Secretary, Coconut Development	Not applicable.

		<p>they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. Accounts Officer	2* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Associate of the Institute of Chartered Accountants of India; or  Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India; or  Master degree in Commerce from a recognised University or institute with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India and possessing five years experience in accounting work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or recognised organisation.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	<b>Promotion:</b> By promotion, on the basis of common seniority of Accountant and Auditor in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades, who possess Master degree in Commerce or a Bachelor degree preferably in Commerce with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India or Postgraduate diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.  <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of:-  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. Secretary, Coconut Development Board – Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member	Not applicable.



		<p>qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>			
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. Assistant Library and Information Officer	1* (2020) *subject to variation dependent on work	Group 'B'.	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

	load				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/deputation	<p>Composite method: Promotion/deputation</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Master degree in any discipline with Bachelor degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; or</p> <p>Bachelor degree in any discipline with Master degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) three years' professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or Educational</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable

			<p>institution.</p> <p>The Departmental Library and Information Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. Development Officer	19* (2020) *subject to variation dependent on	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) Bachelor degree in Agriculture or Horticulture from a recognised University or institute; and  (ii) Two years

	work load				Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	experience in the field of Agriculture or Horticulture Development activities in a recognised institute.
--	-----------	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Age:</b> No <b>Educational Qualifications:</b> Yes, to the extent as mentioned in column (11).	Two years.	Sixty percent by direct recruitment and forty percent by promotion, failing which by direct recruitment.	<b>Promotion:</b> Senior Field Officer in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Plant Science or diploma in Agriculture or equivalent from a recognised University or institute.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. Development Officer (Technology)	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	B.Tech. in Food Processing or Food Technology or equivalent or Master degree in Food and Nutrition or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in food processing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (11).	Two years.	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7) or Master degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Biotechnology or equivalent from a recognised University or institute. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of- 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

			service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. Development Officer (Training)	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Bachelor degree in Agriculture or Horticulture or B. Tech. in Agricultural Engineering or Food Processing Engineering or equivalent or Master degree in Food and Nutrition or equivalent with two years experience in the field of food processing, training and extension in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Technical Assistant possessing postgraduate diploma in Training and Development or equivalent from a recognised University or institute and Food Technologist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development	Not applicable.

		qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Board 5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	
--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. Market Development Officer.	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Business Administration with marketing specialization or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in marketing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	<b>Promotion:</b> Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of- 1. Chairman, Coconut Development	Not applicable.

		<p>from a recognised University or institute, failing which Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the grade and possessing the qualification of Postgraduate diploma in Agricultural Marketing or equivalent from a recognised University or institute and experience in marketing, exhibition, publicity and public relations.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for</p>	<p>Board – Chairman</p> <p>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</p> <p>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	---	--



			<p>consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. Market Promotion Officer	2* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post.	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	Master degree in Business Administration with marketing specialization or equivalent or Master degree in Agriculture or Horticulture with Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in marketing in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	<p>Promotion: Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing Postgraduate diploma in Marketing Management or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. Export Promotion Officer	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Technical Assistant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade and possessing postgraduate diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>and</p> <p>(b) possessing a Bachelor degree in any subject with diploma in International Business or Export Promotion or Foreign Trade or equivalent and three years experience in export promotion work in a Government organisation or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. Mass Media Officer	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India	<b>Essential:</b>  (i) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute; and  (ii) five years experience in mass media activities, Information, Education and Communication

					and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	activities, content creation, stake holder education and training in a recognised institute. <b>Desirable:</b> (i) Two years of experience in mass media operations in Agriculture or Horticulture sector in a recognised institute. (ii) Knowledge in Hindi.
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two year	By direct recruitment. <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Chairman, Coconut Development Board- Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member 4. Secretary, Coconut Development Board - Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. Senior Auditor	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut	(i) Master degree in Commerce or Bachelor degree in any discipline from a recognised University or institute with pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the

					<p>Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>Institute of Cost Accountants of India; and</p> <p>(ii) Five years experience in auditing in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Auditor and Accountant in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the respective grades.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>(Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. Senior Chemist	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400).	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/deputation	<p>Composite method: Promotion/deputation</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>Secretary, Coconut Development</li> </ol>	Not applicable

			<p>(Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing Master degree in Chemistry or Bio-Chemistry from a recognised University or institute with five years experience in the analysis of edible oils and food products.</p> <p>The Departmental Chemist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36. Senior Translator	2* (2020) *subject to variation	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential: (i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of



	dependent on work load				Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	examination at the degree level; and (ii) Postgraduate diploma in Translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University or institute and five years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India undertaking. <b>Desirable:</b> Bachelor degree in Natural Science from a recognised University or institute.
--	------------------------	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	Fifty percent by promotion failing which by deputation and fifty percent by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Junior Translator in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation) consisting of- 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

			<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and other qualifications laid down for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. Senior Microbiologist	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Composite method: Promotion/deputation	Composite method: Promotion/deputation  Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member	Not applicable

			<p>organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) five years service on a regular basis in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing Master degree in Microbiology from a recognised University or institute with five years experience in the analysis of micro biological materials.</p> <p>The Departmental Microbiologist in level 6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</p>	
--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38. Statistical Investigator	4* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not Applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> Master degree in Agricultural Statistics or Statistics from a recognised University or institute.  <b>Desirable:</b> Two years experience in statistical work in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. Secretary, Coconut Development Board – Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an	Not applicable.

	matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member
--	--	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39. Sub-Editor	2* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep..	<b>Essential:</b> (a) Bachelor degree in Science, preferably in Agriculture or Horticulture or allied subject from a recognised University or institute; (b) Postgraduate diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising or equivalent from a recognised University or institute; and (c) Two years experience in editing and publishing of journals, books etc. in a recognised institute.  <b>Desirable:</b> Knowledge of Hindi.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under Central or State Governments or Union territories or public sector undertakings or semi-	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of –  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the	Not applicable.

	Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40. Chemist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> Master degree in Chemistry from a recognised University or institute.  <b>Desirable:</b> Two years' experience in analysis of edible oils and food products in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of – 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development	Not applicable.

	<p>may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>		<p>Officer, Coconut Development Board – Member</p> <p>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</p> <p>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</p>	
--	---	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41. Assistant	11* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	Bachelor degree in Arts or Science or Commerce from a recognised University or institute with a minimum of three years' experience in a Government office or autonomous body or statutory body or public sector undertaking.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which direct recruitment	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Upper Division Clerk and Data Entry Operator in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the respective grades.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. Assistant (Store)	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Bachelor degree from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from a recognised University or institute; and</p> <p>(iii) two years experience in handling Stores and keeping Accounts in a store or a concern of Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or Banks or in a Private Sector Organisation listed on the Stock exchange of India.</p>	Not applicable	Two years	Promotion failing which deputation, failing both by direct recruitment.



(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing two years experience in handling stocks and stores.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</li> </ol>	<p>Not applicable.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43. Auditor	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection post	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) Master degree in Commerce from a recognised University or institute or pass in the Intermediate Examination of the

					<p>Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p>Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India; and</p> <p>(ii) Five years experience in audit work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body.</p>
--	--	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Commerce from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44. Programmer	1* (2020) *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'.	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Master degree in Computer Applications or equivalent with Bachelor degree in Science from a recognised University or institute; or  Bachelor degree in Computer Engineering or Electronics and Communication or Information Technology or equivalent from a recognised University or institute;  (ii) two years experience in programming or Information System in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body or organization dealing in software.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board- Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member  4. Secretary, Coconut Development Board - Member  5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central	Not applicable.

	pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45. Food Technologist	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load.	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	Master degree in Food and Nutrition or B.Tech. in Food Processing or equivalent from a recognised University or institute; or  Bachelor degree in Food Technology or Food and Nutrition with Postgraduate diploma in Food Safety and Quality Management or equivalent from a recognised University or institute and two years experience in the relevant field from a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of-  1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers	Not applicable.

	autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Welfare – Member 4. An officer not below the rank of Deputy Director in the Board, who is in charge of Coconut Development Board Institute of Technology – Member 5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46. Microbiologist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> Master degree in Microbiology or equivalent from a recognised University or institute. <b>Desirable:</b> Two years experience in analysis of micro biological materials in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of- 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman	Not applicable.

	<p>of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. An officer not below the rank of Deputy Director in the Board, who is in charge of Quality Testing Laboratory – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>
--	---	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47. Accountant	3* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Master degree in Commerce from a recognised University or institute or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Chartered Accountants of India or pass in the Intermediate Examination of the Institute of Cost Accountants of India; and</li> <li>(ii) Five years experience in accounts in a Government office or public sector undertaking or autonomous body.</li> </ol>

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Fifty percent by promotion failing which by direct recruitment	<p>Promotion: Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Bachelor degree in Commerce or Bachelor degree in any subject with diploma in Financial Management or equivalent from a recognised University or institute.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48. Content Writer-cum-Journalist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400).	Not applicable	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Master degree in Journalism or Bachelor degree in any subject with Postgraduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication or Public Relations and Advertising from a recognised University or institute; and</p> <p>(ii) Two years</p>

					applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	experience in reporting and editing in a recognised institute. <b>Desirable:</b> Knowledge in Hindi.
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of— 1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49. Junior Translator	*1 (2020) *subject to variation dependent	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	<b>Essential:</b> (i) Master degree in Hindi from a recognised University or institute with English as a compulsory or elective subject or as the medium of



	on work load				Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	examination at the degree level; and  (ii) Postgraduate diploma in Translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University or institute and two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India undertaking.  <b>Desirable:</b>  Bachelor degree in Natural Science from a recognised University or institute.  <b>Note:</b> Upper Division Clerk in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing the essential qualifications for direct recruits can also be considered for appointment to the post of Junior Translator under direct recruitment.
--	--------------	--	--	--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of –  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman  2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member  3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member  4. Secretary, Coconut Development Board – Member  5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community – Member	Not applicable.

		direct recruits under column (7).			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50. Library and Information Assistant	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	(i) Bachelor degree in any discipline with Bachelor degree in Library and Information Science from a recognised University or institute; and  (ii) two years experience in the field of library and information science in a recognised institute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment:  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;	Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community of the	Not applicable.

	or (ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b)possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).		Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51. Senior Field Officer	8* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400).	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation	<p><b>Promotion:</b> Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) six years service on a regular basis in level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) ten years service on a regular basis in level 4 (Rs.25,500-81,100)</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Coconut Development Board - Chairman</li> <li>2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board - Member</li> <li>3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member</li> <li>4. Secretary, Coconut Development Board - Member</li> <li>5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualification of Intermediate or 12<sup>th</sup> Standard pass with Science and diploma or Certificate course in Agriculture or Horticulture or equivalent qualification from a recognised Board or institute.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52. Technical Assistant	6* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400)	Selection post	<p>Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh,</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>Master degree in Business Administration with specialization in Marketing or International Business or Foreign Trade or equivalent from a recognised University or institute or Bachelor degree in any subject with Postgraduate diploma in Marketing Management or International Business or Export Promotion or Foreign Trade from a recognised University or institute</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Two years' experience in marketing or export promotion activities in a recognised institute.</p>

					Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Age:</b> No <b>Educational Qualifications:</b> Yes, to the extent as mentioned in column (11)	Two years	Fifty percent by direct recruitment and fifty percent by promotion, failing which by direct recruitment	<b>Promotion:</b> Field Officer in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade and possessing Postgraduate diploma in Marketing Management or Agricultural Marketing or International Business or Export Promotion or Foreign Trade from a recognised University or institute.  <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chairman, Coconut Development Board – Chairman 2. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Member 3. An officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare – Member 4. Secretary, Coconut Development Board – Member 5. An officer of appropriate status of the Board or in his absence an officer of the Central Government situated locally belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53. Field Officer	16* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500-81,100)	Not applicable	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the	Intermediate or 12 <sup>th</sup> Standard pass with Science and diploma or Certificate course in Agriculture or Horticulture or equivalent qualification from a recognised Board or institute.

					age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) eight years service on a regular basis in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of— 1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman 2. Secretary, Coconut Development Board – Member 3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member 4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54. Upper Division Clerk	16* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500-81,100)	Non-selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation	<p>Promotion: By promotion, on the basis of common seniority of Library Attendant and Lab Assistant possessing the typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer and Lower Division Clerk and Hindi Typist in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years regular service in the respective grades.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman</li> <li>2. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member</li> <li>4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member</li> </ol>	Not applicable.

			<p>shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another <i>excadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
55. Data Entry Operator	1* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500-81,100)	Non-selection post	<p>Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(a) Bachelor degree from a recognised University or institute; and</p> <p>(b) speed test of fifteen thousand key depressions per hour on computer.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>diploma in Computer Application from a recognised University or institute.</p>



(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Promotion failing which by direct recruitment.	<p>Promotion: Lower Division Clerk in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Coconut Development Officer – Chairman</li> <li>2. Secretary, Coconut Development Board – Member</li> <li>3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member</li> <li>4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office - Member</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56. Junior Stenographer	<p>7* (2020)</p> <p>*subject to variation dependent on work load</p>	Group 'C'	Level 4 (Rs.25,500-81,100)	Not applicable	<p>Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor degree from a recognised University or institute</p> <p>(ii) Skill Test Norms:</p> <p>Dictation: Ten minutes @ eighty words per minute</p> <p>Transcription: Fifty minutes (English) or Sixty-five minutes (Hindi) on Computer</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>diploma in Secretarial Course from a recognised University or institute</p> <p>Note: departmental Lower Division Clerks in Level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with three years regular service in the grade and possessing the essential qualifications for direct recruits can be considered for Junior Stenographer.</p>

					Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) eight years service on a regular basis in level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of— 1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman 2. Secretary, Coconut Development Board – Member 3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member 4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57. Hindi Typist	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900-63,200)	Not applicable	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of	Essential: (i) Intermediate or 12 <sup>th</sup> standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or institute (ii) A typing speed of thirty words per minute in Hindi on computer. [Thirty words per minute correspond to nine thousand KDPH on an average of five key depressions for each word.] Desirable: Bachelor degree from a recognised University or institute.

					Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment: <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of - 1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman 2. Secretary, Coconut Development Board – Member 3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member 4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58. Lower Division Clerk	26* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900-63,200)	Non-selection post	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and	Essential: (i) Pass in Higher Secondary from a recognised Board or institute; and (ii) A typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. [Thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to ten thousand five hundred Key Depressions Per Hour and nine thousand Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word.] Desirable: Bachelor degree from a recognised University or institute

					Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	--------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in column (10)	Two years	(i) Ninety percent by direct recruitment.  (ii) Ten percent by promotion on seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff.	By promotion: Promotion on seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff in level 1 (Rs.18,000-56,900) in the pay matrix with three years regular service in the grade and who possess the qualification of Matriculation or equivalent with a speed of thirty-five words per minute in typing on computer.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of –  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman 2. Secretary, Coconut Development Board – Member 3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member 4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59. Library Attendant	1* (2020) *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900-63,200)	Non-selection post	Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangti Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	<b>Essential:</b> (i) 12 <sup>th</sup> Standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or institute; and (ii) Diploma in Library and Information Science from a recognised Board or institute  <b>Desirable:</b> (i) Two years experience in the field of library and information science in a recognised institute. (ii) Working knowledge in library software.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualifications: Yes, to the extent as mentioned in	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Multi-Tasking Staff in level 1 (Rs.18,000-56,900) in the pay matrix with three years regular service in the grade and possessing 12 <sup>th</sup>	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of -  1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development	Not applicable.

column (1).			<p>Class or equivalent qualification and Certificate in Library Science from a recognised institute or Board.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Board – Chairman</p> <p>2. Secretary, Coconut Development Board – Member</p> <p>3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member</p> <p>4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office - Member</p>	
-------------	--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60. Lab Assistant	2* (2020)  *subject to variation dependent on work load	Group 'C'	Level 2 (Rs.19,900-63,200)	Not applicable	<p>Not exceeding twenty-seven years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The upper age-limit is not applicable for the serving regular employees of Coconut Development Board.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh,</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> Standard pass with Science or equivalent qualification from a recognised Board or institute; and</p> <p>(ii) Certificate Course in Lab Technician from a recognised Board or institute.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Two years experience in a reputed and Government recognised microbiological lab or chemical lab.</p>

					Jammu and Kashmir and Lakshadweep.	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the Central or State Governments or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of - 1. Chief Coconut Development Officer, Coconut Development Board – Chairman 2. Secretary, Coconut Development Board – Member 3. Officer-in-charge of the Unit in which the appointment is to be made – Member 4. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community in the office – Member	Not applicable.

[F.No.4-18/2011-Hort.II]

RAJBIR SINGH, Jt. Secy.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फ़रवरी, 2021

**सा.का.नि. 22.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन में भंडार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भंडार अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :